2008:CGHC:8606-DB

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ : माननीय श्री धीरेंद्र मिश्रा एवं माननीय श्री टी.पी. शर्मा, न्यायाधीश

दांडिक अपील क्रमांक 886 वर्ष 2002

कन्नी संकुचित एवं अन्य अपीलार्थी (जेल में निरुद्ध)

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य प्रत्यर्थी विचाराक प्रस्तुत

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

o हस्ताक्षरित/- धीरेंद्र मिश्रा, न्यायाधीश

o हस्ताक्षरित/- टी.पी. शर्मा, न्यायाधीश निर्णय हेतु : 06-02-2008 को सूचीबद्ध करे

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील क्रमांक 886 वर्ष 2002

1. कन्नी संकुचित, पुत्र ननराम राजवार, आयु लगभग 40 वर्ष

2. गेंदा राम, पुत्र ननराम राजवार, आयु लगभग 45 वर्ष

3. रामबृक्ष उर्फ़ बिरछू राम, पुत्र गंझा राम, आयु लगभग 51 वर्ष

4. नक़ल साय, पुत्र रामबृक्ष उर्फ़ बिरछू राम, आयु लगभग 22 वर्ष

सभी कृषक एवं निवासी गाँव-नवाबंध, थाना दरिमा, जिला सरगुजा (छत्तीसगढ़)

2008:CGHC:8606-DB

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य, थाना दरिमा,

जिला सरगुजा (छत्तीसगढ़)

प्रत्यर्थी

अपीलार्थीगण के लिए- श्रीमती सविता तिवारी, अधिवक्ता ।

राज्य के लिए- श्री आशीष शुक्ला, शासकीय महाधिवक्ता ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय (06.02.2008 को सुनाया गया)

- धीरेंद्र मिश्रा, न्यायाधीश:

1. यह अपील 29 जुलाई, 2002 के दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध है, जो सत्र विचारण क्रमांक 258/01 में विद्वान चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा द्वारा पारित किया गया था, जिसमें अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता (संक्षिप्त में 'भा.द.स') की धाराओं 148, 302/149, 323/149, 506-भाग 2, और 341 के तहत दोषी ठहराया गया था और प्रत्येक अभियुक्त को 3 वर्ष के कठोर कारावास और 200 रुपये जुर्माना, जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त 1 महीने का कठोर कारावास; आजीवन कारावास और 1,000 रुपये जुर्माना, जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त 6 महीने का कठोर कारावास; 1 वर्ष का कठोर कारावास (दो बार); 3 वर्ष का कठोर कारावास और 200 रुपये जुर्माना, जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त 2 महीने का कठोर कारावास और 1 महीने का साधारण कारावास से दंडित किया गया था। यह निर्देशित किया गया की सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी।

2. अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में यह है कि परिवादीगण और अपीलार्थीगण की भूमि सटी हुई है। 28.4.2001 को लगभग 11.30 बजे पूर्वाह्न शिकायतकर्ता सावल राम, उनके पिता जगेश्वर और भाई शंकर राम अपनी भूमि पर एक घर के निर्माण के लिए नींव खोद रहे थे, उस समय अपीलार्थी गेंदा राम और कन्नी संकुचित ने

आपत्ति जताई और गाली-गलौज शुरू कर दी। जब जगेश्वर ने उन्हें गाली-गलौज न करने को कहा, तो अपीलार्थीगण ने भूमि पर अपना दावा किया, जिसके बाद शिकायतकर्ता, उसके पिता और भाई थाना दरिमा में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए चले गए। हालांकि, रास्ते में गाँव करजी में बिजुर चेरवा के घर के पास, अपीलार्थीगण ने उनका रास्ता रोक दिया, उनको माँ के नाम पर गाली दी और जान से मारने की धमकी देते हुए लाठी से हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप सावल राम को कनपटी, सिर, हाथ, कंधे और पैर पर चोटें आईं। जगेश्वर के सिर के बीच में दो कटे हुए घाव आए। शंकर राम को भी पीठ और जांघ पर चोटें आईं। इस घटना को बिजेंद्र कुशवाहा, मोतीराम और अन्य ग्रामीणों ने देखा और उन्होंने हस्तक्षेप भी किया।

3. सावल राम ने 28.4.2001 को लगभग 17.30 बजे अपीलार्थीगण और एक तिवारी राम को अभियुक्त के रूप में नामित करते हुए रिपोर्ट दर्ज की। जिस पर भा.द.स. की धाराओं 394, 341, 506-भाग 2, 147, 148 और 323 के तहत अपराध प्रथम सुचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-8 दर्ज किया गया। सावल राम (अभि ०सा०-4) को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए जिला अस्पताल, अम्बिकापुर भेजा गया, जहां डॉ. घनश्याम सिंह (अभि ०सा०-6) ने उनकी विवेचना की और चिकित्सकीय-कानूनी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-9 दी। शंकर राम की चिकित्सकीय-कानूनी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-10 है और जगेश्वर की चिकित्सकीय-कानूनी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-11 है। प्रदर्श पी-11क के क्युरी के उत्तर में, डॉ. घनश्याम सिंह ने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी-12 में राय व्यक्त किया कि सावल राम को करित चोट साधारण प्रकृति की है। घायल जगेश्वर राम को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 29.4.2001 को रात 10.45 बजे उनकी मृत्यु हो गई। 30.4.2001 को प्रदर्श पी-5 और प्रदर्श पी-5क के माध्यम से मर्ग सूचना दी गई। मृतक जगेश्वर राम के शव की गवाह की उपस्थिति में प्रदर्श पी-7 के माध्यम से मृत्यु समीक्षा तैयार की गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल, अम्बिकापुर प्रदर्श पी-1 के माध्यम से भेजा गया, जहां डॉ. जे.के. रैलवानी (अभि ०सा०-1) ने पोस्टमार्टम किया और अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी1 प्रस्तुत की। अपीलार्थीगण कन्नी संकुचित और गेंदा राम के मेमोरेंडम पर अपराध में प्रयुक्त हथियार लाठी क्रमशः प्रदर्श पी-15 और प्रदर्श पी-17 के माध्यम से जब्त की गई। घटना स्थल से खून से सनी मिट्टी और सादी मिट्टी जब्त की गई। प्रदर्श पी-23 के माध्यम से घटना स्थल का नक्शा तैयार किया गया। मृतक जगेश्वर राम के खून से सने कपड़ों वाला सीलबंद पैकेट प्रदर्श पी-24 के माध्यम से जब्त किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. विवेचना पूरी होने के बाद, अपीलार्थीगण/अपीलार्थीगण के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंबिकापुर के अदालत में अभियोगपत्र दाखिल किया गया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर को उपार्पित कर दिया और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने मामले को विचारण हेतु अंतरण पर प्राप्त किया। विचारण के दौरान, अभियोजन पक्ष ने 14 गवाह की परीक्षण कराया और उसके बाद अपीलार्थीगण का बयान धारा 313 द.प्र.स. के तहत दर्ज किया गया जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ मौजूद परिस्थितियों से इनकार किया और अपने निर्देश हेतु व

झूठे फंसाए जाने का अभिवाक किया। हालांकि, संबंधित पक्षों के वकीलों के तर्को सुनने के बाद विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण को ऊपर बताए अनुसार दोषसिद्ध और दंडित किया।

5. जगेश्वर राम की मृत्यु मानववध है य्ढ़ विवादित नहीं है। यहां तक कि घायल प्रत्यक्षदर्शी सावल राम (अभि ०सा०-4) और शंकर राम (अभि ०सा०-5) के बयान और डॉ. जी.के. रेलवानी (अभि ०सा०-1) के बयान से भी, जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट साबित की और मृतक के शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाईं और राय दी कि मृत्यु का कारण गंभीर सिर की चोट के कारण कोमा था जिससे इंट्राक्रेनियल हेमरेज हुआ जो किसी कठोर और बोथरे वस्तु से करीत हुआ था, मृतक के शरीर पर मौजूद चोटें सामान्य परिस्थितियों में मृत्यु के लिए पर्याप्त थीं और मृत्यु मानववध प्रकृति की थी। यह स्थापित हो गया है कि जगेश्वर राम की मृत्यु मानववध थी।

<u>मृतक जगेश्वर राम को आई चोटें"</u>

- गले में काला धागा मौजूद है।
- आंखें बंद और संकुचित थीं। जीभ मुंह के अंदर थी।
- दाएं घुटने के पीछे 10 सेमी आकार का खरोच तिरछा मौजूद था।
- दाहिना ऊपरी अंग कोहनी के नीचे सूजा हुआ पाया गया।
- डाइसेक्शन पर रेडियस और उल्ना बोन के बीच में फ्रैक्चर था, स्कैल्प से पट्टी हटाई गई और स्कैल्प तथा फ्रंटल बोन के बाएं हिस्से पर सूजन देखी गई।
- बाएं पार्श्विका क्षेत्र पर 5 सेमी आकार का फटा हुआ घाव था। खून का थक्का मौजूद था।
- पार्श्विका हड्डी में 4 सेमी x 3 सेमी आकार का दबा हुआ फ्रैक्चर था।
- दाएं हिस्से में टेम्पोरल और पार्श्विका हड्डी में 8 सेमी x 6 सेमी आकार का तिरछा फ्रैक्चर था। फ्रैक्चर वाली हड्डियों को हटाने पर मस्तिष्क की झिल्लियों में फटन और मस्तिष्क के पदार्थ में संकुचन था।
- बोथरी इंट्रा-सेरेब्रल हेमरेज, मस्तिष्क पदार्थ संकुचित था और झिल्लियां संकुचित थीं।
- हृदय का दायां कक्ष खून से भरा था, हालांकि, बायां कक्ष खाली था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने तर्क किया कि उसी घटना में अपीलार्थी गेंदा राम और कन्नी संकुचित को भी सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर चोटें आई थीं। उन्हें जिला अस्पताल में चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेजा गया जहां डॉ. घनश्याम सिंह ने दोनों की विवेचना की और चिकित्सकीय-कानूनी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श डी -1 और प्रदर्श डी -2 दी और इस तथ्य को चिकित्सकीय-कानूनी रजिस्टर में दर्ज किया और इसकी सुसंगत फोटोकॉपी प्रदर्श डी 1-सी और प्रदर्श डी 2-सी हैं। शिकायतकर्ता पक्ष अपीलार्थीगण की भूमि पर नींव खोद रहा था जब उन्हें रोका गया तो शिकायतकर्ता पक्ष ने झगड़ा शुरू कर दिया और जब वे थाना दरिमा में रिपोर्ट दर्ज कराने जा रहे थे तो शिकायतकर्ता पक्ष, जो तीन लोग थे, ने गांव करजी में उन्हें घेर लिया और हमला शुरू कर दिया। इन परिस्थितियों में, अपीलार्थीगण ने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग किया। हालांकि, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण के बचाव को नजर अंदाज करते हुए केवल घायल प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर अपीलार्थीगण को हमलावार माना। यह भी तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष ने जानबूझकर अपीलार्थीगण के शरीर पर मौजूद चोटों को छिपाया, उन्होंने इस तथ्य को भी छिपाया कि अपीलार्थीगण की रिपोर्ट के आधार पर शिकायतकर्ता पक्ष के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया और उनके खिलाफ अभियोगपत्र दाखिल की गई। घायल प्रत्यक्षदर्शियों ने भी अपराध की उत्पत्ति और मूल को छिपाया और उन्होंने यह नहीं बताया कि किन परिस्थितियों में अपीलार्थी गेंदा राम और कन्नी संकुचित को चोटें आईं। पूर्वोक्त कारणों से विचारण न्यायालय को अभियोजन पक्ष के गवाह पर अविश्वास करना चाहिए था और अपीलार्थीगण को प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का लाभ देते हुए बरी कर देना चाहिए था। लक्ष्मी सिंह बनाम बिहार राज्य**,** एआईआर **1976** सुप्रीम कोर्ट **2263** के मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. दूसरी ओर, राज्य के अधिवक्ता ने आदेशित निर्णय का समर्थन किया।

8. इस अपील में विचार करने का एकमात्र प्रश्न यह है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर क्या विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को भा.द.स. की धारा 302 के तहत जगेश्वर राम की मृत्यु का दोषी ठहराना उचित था और क्या अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलार्थीगण के शरीर पर मौजूद चोटों की व्याख्या न किये जाने के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बचाव पक्ष का संस्करण, जो आरोपी के शरीर पर चोटों की व्याख्या करता है, संभावित है ताकि अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह पैदा किया जा सके।

9. डॉ. घनश्याम सिंह (अभि ०सा०-6) ने शिकायतकर्ता सावल राम (अभि ०सा०-4) और शंकर राम (अभि ०सा०-5) का परीक्षण किया और उनकी चोटों की रिपोर्ट साबित की। सावल राम (अभि ०सा०-4) की चोट रिपोर्ट प्रदर्श पी-9 के अनुसार उन्हें निम्नलिखित चोटें आईं:-

- दाएं कंधे के सामने की तरफ 1 × 1⁄4 सेमी आकार का खरोच।
- बाएं कंधे पर दर्द की शिकायत लेकिन कोई दिखाई देने वाली चोट नहीं।
- बाएं पार्श्विका हड्डी पर 4 × 1⁄2 × 1⁄2 सेमी आकार का फटा हुआ घाव। जमा हुआ खून का थक्का।
- बाएं पिंडली की मांसपेशियों पर 20 × 10 सेमी आकार की सूजन, अंडाकार आकार में और तिरछी स्थिति में।
- बाएं कलाई पर दर्द की शिकायत लेकिन कोई दिखाई देने वाली चोट नहीं।
- पीठ के दाएं हिस्से पर 10 × 2 सेमी आकार का एकल खरोंच, तिरछी स्थिति में और संकुचित रंग का।

<u>राय</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

- चोट क्रमांक 3 को छोड़कर पूर्वोक्त सभी चोटें साधारण प्रकृति की हैं और उन्होंने चोट क्रमांक 3 के लिए एक्स-रे की सलाह दी थी और चोट क्रमांक 3 के एक्स-रे परीक्षण के बाद, उसे भी साधारण प्रकृति की बताया गया है।

- <u>शंकर राम (अभि ०सा०-5**)** द्वारा प्राप्त चोटें**:**</u>
  - पीठ के दाएं हिस्से पर 12 × 3 सेमी आकार का एकल खरोंच, संकुचित रंग का, तिरछी स्थिति में।
  - पीठ के केंद्र पर 14 × 2 सेमी आकार का खरोच। जमा हुआ खून और तिरछी स्थिति में।
  - गर्दन के पीछे दर्द की शिकायत लेकिन कोई दिखाई देने वाली चोट नहीं।
  - दाहिनी जांघ के पिछले हिस्से पर 10 × 2 सेमी आकार का एकल खरोंच, तिरछी स्थिति में और संकुचित रंग का।

<u>राय</u>

  - चोट क्रमांक 1, 2 और 4 साधारण प्रकृति की हैं और किसी कठोर और बोथरी वस्तु से आ सकती हैं।

10. इस गवाह (अभि ०सा०-6) ने 28.4.2001 को अपीलार्थी गेंदा राम की भी विवेचना की और परिणाम को चिकित्सकीय-कानूनी रजिस्टर प्रदर्श डी -1 में दर्ज किया, जिसके अनुसार निम्नलिखित चोटें देखी गईं:-

- दोनों पार्श्विका हड्डियों के केंद्र पर 8 × 1/4 × 1/4 सेमी आकार का फटा हुआ घाव। लंबवत स्थिति में जमा हुआ खून।
- दाएं मैक्सिलरी एंट्रम पर 2 × 1/4 × 1/4 सेमी आकार का एकल खरोच, तिरछी स्थिति में और जमा हुआ खून मौजूद।
- दाएं मध्यमा अंगुली के निचले सिरे पर 1/4 × 1/4 सेमी आकार का एक खरोच का घाव।

राय:-

- चोट क्रमांक 1 के लिए एक्स-रे की सलाह दी गई और यह राय दी गई कि चोट क्रमांक 2 और 3 साधारण प्रकृति की हैं और वे किसी कठोर और बोथरी वस्तु से आई थीं।

11. उसी दिन, अपीलार्थी कन्नी संकुचित की भी विवेचना की गई और रिपोर्ट को चिकित्सकीय-कानूनी रजिस्टर में दर्ज किया गया जिसे प्रदर्श डी 1-सी के रूप में दाखिल किया गया, जिसके अनुसार उन्हें निम्नलिखित चोटें आईं:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

- माथे की फ्रंटल बोन पर 6x1/4 × 1/4 सेमी आकार का फटा हुआ घाव, लंबवत स्थिति में जमा हुआ खून।
- दाएं तर्जनी अंगुली के पिछले हिस्से पर 1/2 x 1/2 सेमी आकार का खरोच। अनियमित आकार का।

राय

- चोट क्रमांक 1 के लिए एक्स-रे की सलाह दी गई जबकि चोट क्रमांक 2 को साधारण प्रकृति की बताया गया।

12. अभियोगपत्र में अपीलार्थीगण की चिकित्सकीय-कानूनी रिपोर्ट संलग्न नहीं की गई हैं और अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थीगण के शरीर पर मौजूद चोटों को छिपाया है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि अपीलार्थीगण को एक्स-रे परीक्षण के लिए भेजा गया था या नहीं और रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट क्या है।

13. सावल राम (अभि ०सा०-4) ने गवाही दी कि जब वे अपनी भूमि पर घर बनाने के लिए नींव खोद रहे थे, तो आरोपी व्यक्ति वहां आए और गंदी भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें गाली देना शुरू कर दिया जिसका उनके भाई और पिता ने विरोध किया। कुछ हाथापाई हुई क्योंकि उन्होंने उनका फावड़ा छीनने की कोशिश की। हालांकि, उन्होंने अपना

फावड़ा वापस छीन लिया। जब वे पूर्वोक्त घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने जा रहे थे, तो अपीलार्थीगण ने रास्ते में उन पर हमला किया जिसके परिणामस्वरूप उन सभी को चोटें आईं। गांव करजी के बिजेंद्र कुशवाहा वहां आए और अपीलार्थीगण को रोका, जिसके बाद वे भागने लगे। उन्होंने इस घटना का वर्णन मोतीराम को किया, जो वहां आए थे। परीक्षण में, उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी बाड़ी एक-दूसरे से सटी हुई हैं। उन्होंने यह नकार दिया कि शुरू में अपीलार्थीगण कन्नी संकुचित और गेंदा राम की महिलाएं वहां गईं और उन्हें नींव खोदने से रोका, यह कहते हुए कि भूमि उनकी है और उसके बाद ही उन्होंने अपीलार्थीगण गेंदा राम और कन्नी संकुचित को बुलाया। उन्होंने यह भी नकार दिया कि जब वे खुदाई नहीं रोके, तो वास्तव में, अपीलार्थीगण ने कहा कि वे पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराएंगे। उन्होंने इस सुझाव को भी नकार दिया कि जब आरोपी रिपोर्ट दर्ज कराने जा रहे थे तो उन्होंने और उनके पिता और भाई ने उन्हें घेर लिया और पीटा और इस प्रक्रिया में उन्होंने जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने यह ज्ञान भी नकार दिया कि गेंदा राम और कन्नी संकुचित को उस घटना में सिर पर चोटें आई थीं। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि जब वह पुलिस थाना पहुंचे, तो अपीलार्थी कन्नी संकुचित और गेंदा राम वहां मौजूद थे और वे अस्पताल में भी मौजूद थे जहां उन्हें विवेचना के लिए ले जाया गया था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पुलिस कर्मियों ने गेंदा राम और कन्नी संकुचित को अस्पताल ले जाया था। उन्होंने इस सुझाव को नकार दिया कि बिरजुराम, तिवारीराम और नकल सायं घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. शंकर राम (अभि ०सा०-5) ने भी इसी तरह से गवाही दी, हालांकि, उन्होंने सभी अपीलार्थीगण यानी कन्नी संकुचित, गेंदा राम, बिरछुराम उर्फ रामवृक्ष, नकल साय और तिवारीराम का नाम लिया और बताया कि वे वहां लाठी से लैस थे और उन सभी ने उन्हें घेर लिया और हमला शुरू कर दिया। परीक्षण में इस गवाह ने स्वीकार किया कि जब वे नींव खोद रहे थे, तो कन्नी संकुचित और गेंदा राम वहां आए और उन्हें अपनी भूमि पर नींव न खोदने को कहा। उन्होंने यह भी नकार दिया कि कन्नी संकुचित और गेंदा राम ने कहा कि वे थाना दरिमा में रिपोर्ट दर्ज कराने जा रहे हैं। उन्होंने यह भी नकार दिया कि जब वे रिपोर्ट दर्ज कराने जा रहे थे तो इस गवाह, उसके पिता और सावल राम ने उन्हें घेर लिया और पीटा। उन्होंने यह भी नकार दिया कि अपने बचाव में अपीलार्थीगण ने शिकायतकर्ता पक्ष पर हमला किया। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि गेंदा राम और कन्नी संकुचित को भी सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोटें आई थीं या नहीं। हालांकि, यह कहना गलत है कि उनकी पिटाई के कारण अपीलार्थीगण को चोटें आईं।

15. मोतीराम (अभि ०सा०-9) ने गवाही दी कि उन्होंने शंकर राम की चीख सुनी कि नवाबंध के पांच लोगों ने उन पर हमला किया है। चीख सुनकर वह अन्य ग्रामीणों के साथ वहां दौड़े, उन्होंने देखा कि जगेश्वर को कई चोटें आई थीं, उनका हाथ टूट गया था और खून बह रहा था। शंकर को भी चोटें आई थीं और उनके बड़े भाई सावल राम भी वहां मौजूद थे। जब वह वहां पहुंचे तो आरोपी व्यक्ति जगेश्वर और उसके बेटों पर हमला करने के बाद भाग रहे

थे। उन्होंने उन्हें वहां से भागते देखा। इसके बाद उन्होंने जगेश्वर को टेम्पो पर पुलिस थाना ले गए और वहां से उन्हें अंबिकापुर अस्पताल ले जाया गया जहां अगले दिन उनकी मृत्यु हो गई। परीक्षण में उन्होंने स्वीकार किया कि जब वह मृतक जगेश्वर को थाना दरिमा ले गए, तो उन्होंने थाने में अपीलार्थी कन्नी संकुचित और गेंदा राम को भी देखा, उन्हें भी चोटें आई थीं और उनके सिर से खून बह रहा था। अपीलार्थीगण को भी पुलिस द्वारा इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था।

16. बिजेंद्र प्रसाद (अभि ०सा०-12) ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया और उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया। हालांकि, उन्होंने यह नकार दिया कि उन्होंने या उनके बेटे ने झगड़े में हस्तक्षेप किया था। उन्होंने यह भी नकार दिया कि उन्होंने अपीलार्थीगण को अपराध कारित करने के बाद भागते देखा था।

17. एस.के. मरकाम (अभि ०सा०-14), थाना दरिमा के उपनिरीक्षक जिन्होंने विवेचना की और अभियोगपत्र दाखिल की, ने परीक्षण में स्वीकार किया कि आरोपी गेंदा राम और कन्नी संकुचित की चिकित्सकीय-कानूनी परीक्षण रिपोर्ट अभियोगपत्र के साथ दाखिल नहीं की गई हैं। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट एक अन्य मामले के साथ दाखिल की गई है। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि गेंदा राम और कन्नी संकुचित को उसी दिन इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि गेंदा राम और कन्नी संकुचित की रिपोर्ट पर अपराध दर्ज किया गया था। उन्होंने इस सुझाव को नकार दिया कि अपीलार्थीगण की रिपोर्ट पर कोई अपराध दर्ज नहीं किया गया था और न ही कोई अभियोगपत्र दाखिल की गई थी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि विवेचना के दौरान उन्होंने बाड़ी के स्वामित्व के बारे में कोई पूछताछ नहीं की जिसके कारण झगड़ा शुरू हुआ था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. इस प्रकार, अभियोगपत्र में उपलब्ध साक्ष्य और पूर्वोक्त गवाह के बयानों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसी घटना में अपीलार्थी गेंदा राम और कन्नी संकुचित को अन्य चोटों के अलावा सिर में भी चोटें आई थीं। उन्हें चिकित्सकीय-कानूनी परीक्षण के लिए भेजा गया था और डॉक्टर ने उनकी खोपड़ी का एक्स-रे कराने की सलाह दी थी। हालांकि, अभियोगपत्र में पूर्वोक्त तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है और न ही घायल अपीलार्थीगण की चिकित्सकीय-कानूनी परीक्षण रिपोर्ट, जिसमें खोपड़ी की रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट शामिल है, दाखिल की गई है। शिकायतकर्ता पक्ष और घायल गवाह ने अपीलार्थीगण को कोई चोट पहुंचाने से इनकार किया है और उन्होंने घायल अपीलार्थीगण द्वारा प्राप्त चोटों के संबंध में कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया है।

19. लक्ष्मी सिंह (पूर्वोक्त) के मामले में अपीलार्थीगण द्वारा प्राप्त चोटों की व्याख्या न किये जाने पर विचार करते हुए यह माना गया है:-

- "हमें ऐसा प्रतीत होता है कि एक हत्या के मामले में, घटना के समय या विवाद के दौरान अपीलार्थीगण द्वारा प्राप्त चोटों की व्याख्या न किये जाने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिस्थिति है जिससे न्यायालय निम्नलिखित अनुमान लगा सकता है:

1. यह की अभियोजन पक्ष ने घटना की उत्पत्ति और मूल को छिपाया है और इस प्रकार सही संस्करण प्रस्तुत नहीं किया है।
2. यह कि जिन गवाह ने आरोपी के शरीर पर चोटों की उपस्थिति से इनकार किया है, वे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर असत्य बोल रहे हैं और इसलिए उनका साक्ष्य अविश्वसनीय है।
3. यह कि यदि एक बचाव संस्करण है जो आरोपी के शरीर पर चोटों की व्याख्या करता है, तो यह संभाव्य बन जाता है ताकि अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह पैदा किया जा सके। आरोपी के शरीर पर चोटों की व्याख्या करने में अभियोजन पक्ष की ओर से चूक तब अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है जब साक्ष्य में स्वार्थी या पक्षद्रोही गवाह शामिल होते हैं या जब बचाव पक्ष एक ऐसा संस्करण देता है जो अभियोजन पक्ष के संस्करण के साथ संभाव्यता में प्रतिस्पर्धा करता है।

20. मोहिंदर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य**, 2006 (10)** एससीसी **618** में दिए गए हालिया निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपी के शरीर पर मौजूद चोटों की व्याख्या न किये जाने से निपटते हुए माना कि बचाव पक्ष द्वारा पेश किया गया साक्ष्य, जो अधिकतम आरोपी द्वारा प्राप्त मामूली चोटों को दिखाता है, अभियोजन पक्ष के मामले को नहीं हटाएगा, जो विश्वसनीय गवाह के साक्ष्य और चिकित्सकीय साक्ष्य द्वारा पूरी तरह से स्थापित किया गया था। हालांकि, उक्त निर्णय के पैरा-9 में यह आगे माना गया है कि ऐसा व्याख्या न किये जाना तब अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है जब साक्ष्य में स्वार्थी या पक्षद्रोही गवाह शामिल हों या जब बचाव पक्ष एक ऐसा संस्करण देता है जो अभियोजन पक्ष के संस्करण के साथ संभाव्यता में प्रतिस्पर्धा करता है। लेकिन जहां साक्ष्य स्पष्ट, प्रभावी और विश्वसनीय है और जहां न्यायालय सत्य को असत्य से अलग कर सकता है, वहां केवल यह तथ्य कि अभियोजन पक्ष द्वारा चोटों की व्याख्या नहीं की गई है, स्वयं ऐसे साक्ष्य को खारिज करने और परिणामस्वरूप पूरे मामले को खारिज करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. बिश्ना उर्फ भिस्वादेव महतो और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य**,** जेटी **2005(9)** एससी **290** में दिए गए निर्णय में यह माना गया है कि:

> "बड़ी सख्या में मामलों में, इस न्यायालय ने हालांकि यह विधि स्थापित किया है कि एक व्यक्ति जो मृत्यु या शारीरिक चोट की आशंका कर रहा है, वह क्षणिक आवेश और परिस्थितियों की गर्मी में, हथियारों से लैस हमलावरों को निहत्था करने के लिए आवश्यक चोटों की संख्या किसी पैमाने पर नहीं तौल सकता है। उत्तेजना और असंतुलन के क्षणों में, पक्षों से यह उम्मीद करना अक्सर मुश्किल होता है कि वे शांत रहें और बिल्कुल उतना ही बल का प्रयोग करें जो उन्हें खतरे के अनुरूप हो जहां बल के प्रयोग से हमला निकट है। सभी परिस्थितियों को

व्यावहारिकता के साथ देखने की आवश्यकता है और किसी भी अतिशय तकनीकी दृष्टिकोण से बचना चाहिए।"

"सीधे शब्दों में कहें तो, यदि एक बचाव स्थापित होता है, तो आरोपी को बरी करने का हकदार है और यदि नहीं तो उसे हत्या का दोषी ठहराया जाएगा। लेकिन अत्यधिक बल के प्रयोग के मामले में, उसे धारा 304 भा.द.स के तहत दोषी ठहराया जाएगा।"

22. वर्तमान मामले में, जैसा कि पहले ही माना जा चुका है कि विवादित भूमि के स्वामित्व को स्थापित करने के लिए अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है, क्योंकि इस संबंध में कोई विवेचना नहीं की गई थी। अभियोजन पक्ष ने अभियोजन मामले में अपीलार्थीगण के शरीर पर मौजूद चोटों को छिपाया है। विचारण के दौरान भी घायल अभियोजन गवाह ने उसी घटना में अपीलार्थीगण द्वारा प्राप्त चोटों की व्याख्या नहीं की है और इस प्रकार, अपराध की उत्पत्ति और मूल को छिपाया गया है। इन परिस्थितियों में यह सुरक्षित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि जिन गवाह ने अपीलार्थीगण के शरीर पर चोटों की व्याख्या नहीं की है, वे सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर असत्य बोल रहे हैं और इसलिए, बचाव संस्करण, जो अपीलार्थीगण के शरीर पर चोटों की व्याख्या करता है, संभाव्य बन जाता है और अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह पैदा करता है। विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण के बचाव को इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया कि झगड़ा पहली बार में अपीलार्थीगण द्वारा शुरू किया गया था जब शिकायतकर्ता पक्ष नींव खोद रहा था और बाद में दूसरी बार जब शिकायतकर्ता पक्ष रिपोर्ट दर्ज कराने जा रहा था तो अपीलार्थीगण ने उन्हें घेर कर हमला किया। चूंकि घटना खुले स्थान पर हुई थी, इसलिए, अपीलार्थीगण को, जैसा कि दावा किया गया था, प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं था, और केवल अपीलार्थीगण के शरीर पर मौजूद चोटों की व्याख्या न किये जाना उन्हें प्राइवेट प्रतिरक्षाका अधिकार नहीं देती है। विचारण न्यायालयका पूर्वोक्त निष्कर्ष प्रत्यक्षदर्शी गवाह के साक्ष्य पर आधारित है जिन्होंने अपीलार्थीगण के शरीर पर चोटों की व्याख्या नहीं की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. अभिलेख पर उपलब्ध समग्र साक्ष्य पर विचार करने के साथ-साथ मृतक और दो घायल गवाह द्वारा प्राप्त चोटों पर विचार करने और आगे अपीलार्थीगण गेंदा राम और कन्नी संकुचित के शरीर पर चोटों की व्याख्या न किये जाने पर विचार करने के बाद, हम संतुष्ट हैं कि अपीलार्थीगण का संस्करण कि हमला उनके द्वारा प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए किया गया था, क्योंकि वे रिपोर्ट दर्ज कराने जा रहे थे और उस मोड़

पर उन पर शिकायतकर्ता पक्ष ने हमला किया था, संभाव्य हो सकता है। हालांकि, बचाव पक्ष यह दिखाने में सक्षम नहीं हो पाया है कि अपीलार्थीगण के लिए खतरा ऐसी प्रकृति का था कि उन्हें मृतक और उसके दो बेटों यानी सावल राम और शंकर राम पर इस तरह से हमला करना पड़ा जिससे जगेश्वर राम की मृत्यु हो गई और इस प्रकार, उन्होंने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अपने अधिकार को अंतरित कर लिया है।

24. पूर्वोक्त चर्चा के आधार पर, हमारा विचार है कि अपीलार्थीगण भा.द.स. की धारा 304 भाग-1 के तहत दंडनीय अपराध के दोषी हैं न कि भा.द.स की धारा 302 के तहत।

25. परिणामस्वरूप, अपीलार्थीगण द्वारा दायर अपील आंशिक रूप से सफल होती है और भा.द.स. की धारा 302/149 के तहत उनकी दोषसिद्धि और उस धारा के तहत उन पर अधिरोपित दंड को यहां अपास्त किया जाता है और उन्हें उक्त आरोप से बरी कर दिया जाता है। इसके बजाय, उनमें से प्रत्येक को भा.द.स की धारा 304 भाग 1 के तहत दोषी ठहराया जाता है और 07 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया जाता है। हालांकि, भा.द.स की धाराओं 148, 323/149 (दो बार), 506-भाग-2, और 341 के तहत अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि और उन धाराओं के तहत उन पर अधिरोपित दंड की बरकरार रखा जाता है। अपीलार्थीगण उस अवधि के लिए मुजरा किये जाने के हकदार होंगे जो उन्होंने पहले ही उन पर अधिरोपित दंड विरुद्ध भुगत ली है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित/-	हस्ताक्षरित/-
धीरेंद्र मिश्रा,	टी.पी. शर्मा,
न्यायाधीश	न्यायाधीश

अस्वीकरण हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By: ईशा तिवारी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur